मा0 पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

# सार्वजनिक सूचना

**सर्वसाधारण/आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय / गैर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की जा रही हो तो कृपया भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी निम्न सूचनाओं/जानकारी का संज्ञान अवश्य लिया जाये :-**

- प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया। एम.डी.डी.ए. कार्यालय से भूमि के भू-उपयोग की जानकारी अवश्य रूप से ली जाये। इस हेतु केता को कय की जाने वाली भूमि/भूखण्ड का वास्तुविद /ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया की-प्लान तथा भू-खण्ड के गूगल को-ऑर्डिनेट्स/भू-खण्ड की गूगल लोकेशन प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- अवैध प्लाटिंगों पर कय किये गये भू-खण्ड पर एम.डी.डी.ए. द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।

- मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश तथा भवन उपविधि के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी के क्षेत्र से 30 मी0 की दूरी के उपरान्त ही भूमि कय की जाये।

- प्राधिकरण से बिना स्वीकृति/अनुमति से की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भू-खण्ड कदापि कय न किया जाये। यदी सूचित होने के बावजूद भी मू-खण्ड कय किया जाता है तथा एम.डी.डी.ए. द्वारा भवन उपविधि के अनुसार प्रश्नगत अवैध प्लाटिंग के विरुद सील अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केता की रहेगी। एम.डी.डी.ए.द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत की गयी अवैध प्लाटिंगों की भूमि के सम्बन्ध में सूचना/जानकारी एएम.डी.डी.ए. की ऑफिशियल वेबसाइट एमडीडीएओनलाइन-इन पर उपलब्ध है।

- जनहित में यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि/भू-खण्ड कय करने से पूर्व कय की जाने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजो का परीक्षण/सजरे के अनुसार भू-खण्ड खसरा न0 की स्थिति स्पष्ट करने/कय की जाने वाली भूमि में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद होने अथवा न 1 न होने/कय की जाने वाली भूमि के रकबे में सरकारी भूमि सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कृपया राजस्व विभाग से गली-माति परीक्षण कराया जाये।

- प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी उक्त सूचनाओं / जानकारी के कम में कय की गयी भूमि/भू-खण्ड का एम.डी.डी.ए. कार्यालय से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही मोके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

- क्रय की जाने वाली भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से भूमि/भू-खण्ड का प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्र की जानकारी प्राप्त की जाये कि जो भू-खण्ड केता द्वारा बिक्रेता से कय किया जा रहा है क्या वह भू-खण्ड स्वीकृत ले-आउट मानचित्र का भू-खण्ड का माग है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से स्वीकृत ले-आउट मानचित्र/मानचित्र संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका सत्यापन एम.डी.डी.ए. कार्यालय से अवश्य रूप से किया जाये।

**उक्त सूचना/जानकारी जनहित में जारी की जाती है।**

''आज्ञा से
**उपाध्यक्ष**
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण''
देहरादून।